

TENDER DOCUMENT

निविदा दस्तावेज



FOR THE WORK

कार्य हेतु

विभागीय कार्यों के लिये सामग्री प्रदाय हेतु

पार्ट-3

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल

औबेदुल्लागंज

निविदा आमंत्रण

कार्यालय, वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल

औबेदुल्लागंज म.प्र.

वर्ष 2026-27 में वृक्षारोपण एवं अन्य सामग्री प्रदाय हेतु

निविदा शर्तें

क्र.	जानकारी	विवरण
1.	संक्षिप्त विवरण	वनमण्डल औबेदुल्लागंज में निर्माण सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	ई-निविदा 1929 4144 दिनांक 06.04.2026 11/05/2026
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/- - प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचालित रूप से निर्धारित)
4	सत्यांकार निधि	15000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2026-27
6	निष्पादन सुरक्षा	15000/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	लगभग 5.00 लाख/-
8	Tender Publishing Date & Time	As per portal
9	Document Download/sale Start Date	As per portal
10	Seek Clarification Start Date & Time	As per portal
11	Seek Clarification End Date & Time	As per portal
12	Pre-Bid Meeting Date	As per portal
13	Bid Submission Start Date & Time	As per portal
14	Bid Submission Closing Date & Time	As per portal
15	Bid Opening Date & Time	As per portal
16	जमा करने का प्रकार	ऑनलाइन जमा https://mptenders.gov.in पर करें

उपरोक्त निमत में दाय
ठेका जमा /
उप 2 वनमण्डल
सामान्य औबेदुल्लागंज

Statistical Form
03 Form

खंड- II
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्त

1. पिछले एक ऐसेसमेंन्ट वर्ष का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
2. चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाणित टर्न ओव्हर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विगत एक वर्ष का टर्न ओवर अनुमानित निविदा मूल्य के दो गुने से कम नहीं होना चाहिये। यदि औसत टर्न ओव्हर से ^{अनुमानित} छूट चाही गई है, तो फर्म का "स्टार्टअप इंडिया प्रमाण-पत्र" (यह प्रमाण-पत्र निविदा में दी गई सामग्री के समान कैटेगिरी का हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. फर्म का एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र संलग्न करें। (यदि लागू हो तो) (एम.एस.एम.ई. के अंतर्गत ई. एम.डी. की छूट सर्विसेस एवं मेन्यूफेक्चरिंग के लिये ही मान्य है।)
4. निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो रूपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-1 अनुसार)
5. निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण (निविदा में संलग्न अनुलग्नक-2 अनुसार) संलग्न करें।
6. सभी निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे वनमण्डल औबेदुल्लागंज के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र (अनुलग्नक-3) निविदाकार द्वारा भरा जाना होगा। पूरा प्रमाण-पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना होगा।
7. निविदाकार द्वारा जिस सामग्री हेतु निविदा भरी जा रही है, उस सामग्री का निविदाकार के पास होना चाहिये :-
 - (i) किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पी.एस.यू./सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव :-
 - (क) तीन समान कार्य जिसके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या
 - (ख) दो समान कार्य जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या
 - (ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं है, जिनके लिये निविदा दी गई है।

अथवा
 - (घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, मध्य प्रदेश में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो, जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30 प्रतिशत के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिये।

* यहां समान कार्य से तात्पर्य निविदा में दर्शित सामग्री से है।

उक्त शर्तों के आधार पर अनुभव संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। अतः निविदाकारों को विगत 03 वर्षों में निविदा में दर्शित सामग्री के कार्य आदेश (मात्रा, दर एवं राशि सहित) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000/- वापसी योग्य नहीं है।
9. निविदा किसी फर्म की ओर से दिये जाने की स्थिति में फर्म के प्रोपराईटर को निविदा दस्तावेजों में हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। प्रोपराईटर की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उक्त कार्य हेतु मुख्तार नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे हों, तो अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति एवं फर्म के "इंडियन पार्टनरशिप एक्ट" के अंतर्गत पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
10. इस निविदा की सामग्री कम या ज्यादा करने का तथा किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षकर्ता के पास होगा।
11. निविदाकार द्वारा सामग्री की प्रस्तावित दरें कर रहित होंगी।
12. निविदा में दी गई दरों की अवधि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु होगी। उक्त दरों की अवधि आगामी टेण्डर होने तक बढ़ायी जा सकती है। (परन्तु यह अवधि वर्ष 2026-27 के पश्चात् केवल तीन माह के लिये ही बढ़ायी जा सकती है।)
13. चयनित निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के पूर्व रुपये 1000/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित कर दिये जाने वाली सामग्री की निम्नानुसार धरोहर राशि का बैंक एफ.डी.आर. / डिमांड ड्राफ्ट "वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल, औबेदुल्लागंज जिला रायसेन" के पक्ष में जमा करना होगा अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी।
14. निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिये आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्चे निविदाकार को वहन करना होगा।
15. निविदाकार को तकनीकी निविदा में निम्नानुसार क्रम में ही दस्तावेज संलग्न करना होगा। निविदा में चाहे गये दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजे संलग्न नहीं किए जाए। निविदाकार को अपनी फर्म के लेटर हेड पर निविदा में संलग्न किए गए दस्तावेजों की सूची निविदा में संलग्न करना अनिवार्य है।

- I. Scanned copy of proof for payment of Tender Fee and EMD.
- II. Scanned copy of last ^{one} ~~three~~ year Income Tax Return Certificate. ✓
- III. Scanned copy of MSME Certificate. (if applicable)* (As Per Point-3) ✓
- IV. Scanned copy of Affidavit Annexure 1, Annexure 2 and 3. ✓
- V. Scanned copy of Turn over Certificate. (1 year certified by CA)* ✓
- VI. Scanned copy of Experience Certificate. (as per point (7))
- VII. Scanned copy of One year GST Return Certificate.
- VIII. Scanned copy of GST Registration Certificate, PAN, Adhar Card.

16. संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर) -

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदायें निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगी :-

क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जायेगा और इस प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जायेगा।

ख. निविदा और सफल निविदा के मामले में, समझौते पर समस्त भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे, ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हो।

ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों की ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया जायेगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जायेगा।

घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन के लिये संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (ग) के तहत उल्लेखित प्राधिकरण में शामिल किया जायेगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में (सफल बोली के मामले में)।

ड. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिये। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिये। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसमें बाद में बदलाव/संशोधन नहीं किया जायेगा।

च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो, और

2. निविदा के लिये आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिये संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आँकड़े एक साथ जोड़े जायेंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप से निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जावेगा।

3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।

4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता(यो) को अधिकृत करने वाले साझेदार की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करें।

5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुये समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है), जो निविदाकारों के लिये निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।

6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिये अनुसार प्रस्तुत करें :-

क्रमांक	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

XXX

5

उप दस्तावेज़ों में
मान्य औबेदुल्लाह

Divisional Pwngy
71 Pwngy District

निविदा की अन्य शर्तें

1. ब्लैक स्टोन, क्रशड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करनी होगी।
2. जहाँ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटौती की जाएगी।
3. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना या दृच्छिक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो सामग्री का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जब्त की जायेगी और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
4. उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद और मूरम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना अनिवार्य है। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. सामग्री (इलेक्ट्रॉनिक परिवहन पास, ई-टीपी (रायल्टि यदि लागू हो)) सहित प्रदाय किया जाना है।
6. सामग्री का प्रदाय का भुगतान ई इनवाईस बिल के माध्यम से ही किया जावेगा। मेन्यूअल बिल मान्य नहीं होंगे।
7. निविदाकार द्वारा सामग्री प्रदाय के प्रस्तुत बिल में नियमानुसार CGST, SGST का अलग-अलग उल्लेख करना अनिवार्य है।
8. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।
9. सफल निविदाकर्ता को वन विभाग, सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज म.प्र. के साथ एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर ई0एम0डी0 एवं निष्पादन सुरक्षा राशि को जप्त किया जा सकेगा।
10. सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज म.प्र. द्वारा निरस्त किया जा सकता है, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी, उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज म.प्र. के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।

11. सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करनी होगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके स्वयं के व्यय पर वापस मंगानी होगी।
12. सामग्री प्रदाय हेतु ई-निविदा में दर्शित मात्रा पूर्णतः अनुमानित है, जिसमें परिवर्तन हो सकता है। मात्रा में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
13. निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन, लोडिंग-अनलोडिंग और स्टेकिंग व्यय सहित होगी।
14. बिल में दर्शित भुगतान राशि से देय करों की कटौती की जावेगी।
15. निविदा में एक से अधिक निविदाकारों की सामग्री की न्यूनतम दरें समान होने की स्थिति में निविदाकारों की आपसी सहमति पर सामग्री की मात्रा को विभाजित कर आदेशित किया जावेगा एवं निविदाकारों की आपसी सहमति न होने की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदाकार का चयन किया जावेगा।
16. पृथक-पृथक सामग्री के न्यूनतम दर अनुसार पृथक-पृथक सफल निविदाकार का चयन किया जावेगा।
17. स्वीकृत निविदा दरें तत्समय बाजार दर से अधिक पाये जाने की स्थिति में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। अतः सामग्री की दरें बाजार दर से अधिक न हों।
18. सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन अधीक्षक अभ्यारण्य रातापानी औ.गंज/परिक्षेत्राधिकारी/मूल्यांकन समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार भुगतान होगा। यदि सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी प्रमाण-पत्र/दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगी जाती है, तो निविदाकार को तत्काल संबंधित सत्यापनकर्ता को प्रदाय करना होगा।
19. निविदाकार को उक्त सामग्री कार्य आदेश मिलने के 07 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय किया जाना होगा। प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा, जिससे मापन में सुविधा हो। यदि निविदाकार के द्वारा दिए आपूर्ति स्थल पर सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है या अन्य स्थल पर सामग्री प्रदाय की जाती है, तो प्रदाय सामग्री मान्य नहीं की जावेगी।
 - 19.1 07 दिवस तक सामग्री प्रदाय न करने पर निविदाकार को वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल, औवेदुल्लागंज द्वारा 10 दिन का नोटिस दिया जावेगा।
 - 19.2 नोटिस तिथि के 10 दिवस के भीतर सामग्री प्रदान न करने की स्थिति में निविदा को निरस्त की कार्यवाही की जावेगी तथा निविदाकार द्वारा जमा EMD की राशि तथा निष्पादन सुरक्षा राशि को नियमानुसार शासन के पक्ष में राजसात करते हुये निविदाकार की फर्म को नियमानुसार काली सूची में डाला जायेगा।

- 19.3 प्राधिकृत अधिकारी/वनमण्डल कार्यालय/संबंधित परिक्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया कार्य आदेश/मांग पत्र एवं नोटिस WhatsApp/Email के द्वारा भी मान्य किया जावेगा।
20. सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर ई0एम0डी तथा निष्पादन सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता/संबंधित फर्म का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनैतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा।
21. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज म.प्र. के पास सुरक्षित रहेगा।
22. निविदा दर स्वीकृत होने पर 1000/- रुपये का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
23. किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ जिस व्यक्ति के नाम से निविदा भरी जा रही है, उसके द्वारा हस्ताक्षरकर्ता को दिया गया मुख्तारनामा जो 1000/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर मान्य होगा, निविदा के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
24. जो वैध निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
25. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
26. दरें स्वीकृत होने पर Specification अनुसार बिल के साथ सामग्री प्रदाय किया जाना होगा।
27. बिल के साथ प्रदाय सामग्री की अधिकृत ऐजेन्सी द्वारा जारी टेस्ट रिपोर्ट मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
28. तकनीकी निविदा खुलने की दिनांक को निविदाकार/प्रतिनिधि वनमण्डल औबेदुल्लागंज कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। यदि निविदा खुलने की दिनांक में अपरिहार्य कारणों से किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना निविदाकार को ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी।
29. सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज या संबंधित वनपरिक्षेत्राधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे, जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु एफ.ओ.आर. स्थल दर्शाया जावेगा। प्रदायकर्ता को सामग्री एफ.ओ.आर. स्थल तक पहुंचा कर देना होगा।
30. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज म.प्र. का निर्णय अंतिम होगा।
31. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज म.प्र. का होगा।
32. समस्त विवाद का न्यायालयीन क्षेत्र सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज रहेगा।
33. किसी भी विरोधाभाष की स्थिति में म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमोंक/एफ.-2//2024-25/10-3/2776, दिनांक 20.09.2024 के नियमों का पालन किया जायेगा।

सामग्री का नाम एवं सामग्री स्पेसिफिकेशन:-

Sl. No.	Item Description	Units
1.01	गोबर खाद (एक वर्षा ऋतु के पूर्व की गली हुई) क्य एवं परिवहन	CMT
1.02	वर्मी कम्पोस्ट (खाद)	KG
1.03	नीमखली	KG
1.04	उपजाऊ मिट्टी क्य एवं परिवहन	CMT
1.05	जे.सी.बी. मशीन ऑन रेंट	per hour
1.06	पानी टैंकर प्रदाय परिवहन एवं सिंचाई कार्य सहित (4000 लीटर/टैंकर)	Nos

30. यदि निविदा की शर्तों एवं दिनोंक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर ऑनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।

31. निविदा में दर (FOR) फ्री ऑन रोड सहित प्रस्तुत करे। अपूर्ति स्थल तालिका निम्नानुसार है।

क्र.	जिला	वनमण्डल	आपूर्ति परिक्षेत्र
1	रायसेन	औबेदुल्लागंज	परिक्षेत्र-दाहोद, देलाबाड़ी, बरखेड़ा, बिनेका, गौहरगंज, चिकलोद, चिलवाहा, सुल्तानपुर, बाड़ी बम्होरी

अनुलग्नक - 1

प्रारूप : स्वघोषणा - काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण-पत्र
रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है

दिनांक

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन (मध्यप्रदेश)

महोदय/महोदया,

दिनांक के निविदा संदर्भ संख्या के प्रत्युत्तर में, घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म का रिकार्ड बेदाग है तथा उसके किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिये अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि हमारी कंपनी/फर्म निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई है और ना ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जप्त कर ली जायेगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की गई सीमा तक रद्द कर दिया जायेगा।

निविदाकार का नाम :-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता :-

संगठन की मुहर :-

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक - 2

प्रारूप : निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम :
2. पिता का नाम :
3. स्थायी पता मकान क्रमोंक :
- गली क्रमोंक :
- स्थान :
- जिला : पिनकोड
4. कार्यालय का पता :
- गली क्रमोंक :
- स्थान :
- जिला : पिनकोड
5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार :- एफ.डी.आर./बैंक गारंटी/.....
-
- संख्या : दिनोंक
-
- राशि :
-
- बैंक का नाम :
-
6. जी.एस.टी. नम्बर :
-
7. मोबाईल नम्बर :
-
8. ई-मेल आई.डी. :
-

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं पिता/पति
..... घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिये मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 3

प्रारूप : सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण-पत्र

मैं/हम
जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा
वनमंडल का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम वनमंडल के अन्दर किसी
भी दिये गये स्थान पर आपूर्ति करने के लिये सहमत हूँ।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने/हम ने
काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिये आवेदन करने से
पहले कार्य स्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और सभी कार्य स्थितियों को समझते हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक - 4
स्वीकृति पत्र क्रमोंक

दिनांक

क्र.

प्रति,

मेसर्स

.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय :

प्रिय श्री,

उपर्युक्त कार्य के लिये आपकी बोली वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सामग्री का नाम एवं विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रु.में.)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें :-

क. रुपये(अंको में) की निष्पादन सुरक्षा/निष्पादन गारंटी (रुपये
.....केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी
राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में
होगी, जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी,
के नाम पर प्रतिज्ञा ।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

अनुलग्नक 5 अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध दिनांक को वनमंडल अधिकारी, जिला (म.प्र.)
(निविदाकर्ता का नाम और पता) (जिसे आगे "निविदाकर्ता" कहा जायेगा) और मेसर्स
..... (निविदाकार का नाम और पता) जिसे आगे "निविदाकार" के बीच दूसरे पक्ष के
लिये किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमंडल अधिकारी, (म.प्र.) (अनुबंध का नाम
और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जायेगा) द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर
के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करें और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल
और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति के लिये बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है :-

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः
निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जायेगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किये जाने वाले भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख
किया गया है, निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य
निष्पादित और पूरा करने के लिये निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मूल्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा
निर्धारित समय और तारीख से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में
निविदाकार को भुगतान करने के लिये अनुबंध करता है।
4. निविदाकर्ता को निविदा में दर्शित समस्त शर्तें स्वीकार हैं तथा इनका पालन नहीं किये जाने पर
दण्ड मान्य हैं।
5. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जायेगा अर्थात्
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में
निष्पादित किया गया है।

सामान्य मुहर इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई
गई थी।

उक्त द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त की
उपस्थिति में।

सफल निविदाकार के हस्ताक्षर

वन मण्डलाधिकारी
सा 10 वनमण्डल औबेदुल्लागंज